**संख्या-86/2022/2407/41-2021-48(बजट)/2021 टी0सी0**

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव
अनु सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

**पर्यटन अनुभाग** **लखनऊ, दिनांक** 15 **मार्च**, **2022**

**विषयः-मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अन्तर्गत जनपद मीरजापुर के विधान सभा क्षेत्र चुनार में स्थित शिवशंकरी धाम (कैलहट) का विस्तार, सुन्दरीकरण एवं पर्यटन विकास कार्य की पूर्व में स्वीकृत योजना के कार्यों के स्थान पर योजना स्थल पर अन्य नवीन कार्य कराये जाने की अनुमति एवं तत्संबंध में प्रायोजना की संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत करने के संबंध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0- 2060/मु0प0सं0यो0(55)/2021 दिनांक 17 अगस्त, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. वित्तीय वर्ष 2020-21 में मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजनान्तर्गत शासनादेश सं0-152/2021/ 398/ 41-2021-48(बजट)/2021 दिनांक 24 फरवरी 2021 द्वारा **जनपद मीरजापुर के विधान सभा क्षेत्र चुनार में स्थित शिवशंकरी धाम (कैलहट) का विस्तार**, **सुन्दरीकरण एवं पर्यटन विकास कार्य की परियोजना हेतु** कार्यदायी संस्था उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 (यूपीपी0सी0एल) द्वारा तैयार किये गये आगणन के सापेक्ष रू0-50.00 लाख की प्रशासकीय एवं प्रथम किश्त के रूप में रू0-25.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई थी।

3- तत्क्रम में महानिदेशक पर्यटन के उल्लिखित पत्र दि0-17 अगस्त, 21 के माध्यम से मा0 विधायक, चुनार श्री अनुराग सिंह के पत्र दिनांक 24-5-21 में की गई संस्तुति के क्रम में परियोजना में मूल रूप में स्वीकृत किये गये कार्यों के स्थान पर अन्य कार्यों को कराये जाने हेतु नवीन आगणन गठित कर उपलब्ध कराते हुए परियोजना हेतु पूर्व में स्वीकृत कार्यों के स्थान पर उपलब्ध कराये गये नवीन आगणन में निम्नांकित विवरणानुसार नये कार्यों को कराये जाने का प्राविधान करते हुये उनकी लागत को सम्मिलित किया गया है:-

**1-** हॉल,
**2-** सी0सी0 रोड,
**3-** विश्राम स्थल,
**4-** टायलेट ब्लॉक (महिला व पुरूष),
**5-** ड्रिंकिंग वाटर पोस्ट,
**6-** मेन गेट,
**7-** सोलर लाइट,

4- महानिदेशक पर्यटन द्वारा उपरोक्त कार्यो के संबंध में उपलब्ध कराये गये नवीन आगणन रू0-56.91 लाख का विभागीय अप्रेजल समिति से मूल्यांकन /परीक्षण कराये जाने के उपरान्त आंकलित लागत रू0-49.72 लाख संस्तुत की गई है।

5- अतः उपरोक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त प्रस्तर-3 पर अंकित नये कार्यों को कराये जाने की अनुमति एवं तत्संबंधी आगणन रू0-56.91 लाख के सापेक्ष आंकलित लागत **रू0-49.72 लाख की संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति** इस प्रतिबन्ध सहित श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं कि शासनादेश

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

सं0-152/2021/ 398/ 41-2021-48(बजट)/2021 दिनांक 24 फरवरी 2021 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गई धनराशि रू0-25.00 लाख का उपयोग सम्प्रति प्रदान की जा रही संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति के अधीन कराये जाने वाले कार्यो के लिया किया जायेगा।

6- उपरोक्त प्रस्तर-5 में प्रदान की जा रही स्वीकृति से संबंधित अन्य शर्ते/प्रतिबन्ध निम्नवत लागू होंगी:-

(1) प्रश्नगत परियोजना हेतु शासनादेश सं0-152/2021/ 398/ 41-2021-48(बजट)/2021 दिनांक 24 फरवरी 2021 में अंकित शर्तों/प्रतिबन्धों एवं अन्य संगत प्राविधानों का यथावत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं **पर्यटन अधिकारी, वाराणसी एवं विन्ध्याचल मण्डल**, **वाराणसी का यह उत्तरदायित्व होगा कि प्रश्नगत परियोजना के उक्त कार्यों की द्विरावृत्ति/ पुनरावृत्ति नहीं होना सुनिश्चित किया जायेगा।**

(2) प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गई धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-149/दस-2020-231/2019,दिनांक 24 मार्च, 2020, शासनादेश सं0-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020 दिनांक 7-4-2020 ,शासनादेश सं0-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/ 2020 दिनांक 11-4-2020, शासनादेश सं0-6/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020 दिनांक 18-5-2020 एवं वित्त (आय—व्ययक ) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या : 3/2021/बी-1-375/दस-2021-231 / 2021 दिनाँक : 22 मार्च, 2021 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात् स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत की सीमान्तर्गत ही कराया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को अनुमोदित लागत के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि/चार्जेज नही दिया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

**<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

**1-** प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
**2-** महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
**3-** मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
**4-** जिलाधिकारी, मीरजापुर ।
**5-** संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ ।
**6-** वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
**7-** प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 (यूपीपी0सी0एल0), लखनऊ।
**8-** परियोजना प्रबंधक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 निर्माण इकाई-16**,**मीरजापुर।
**9-** वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 ,उ0प्र0 शासन।
**10-**पर्यटन अधिकारी**,** वाराणसी एवं विन्ध्याचल मण्डल**,** वाराणसी
**11-**वेब अधिकारी**,** पर्यटन विभाग।
**12-**गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in